**पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा ढांचा**

**(ईएसएसएफ)**

**(जून 2024 में अद्यतित)**



 इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

(आईआईएफसीएल)

(भारत सरकार का उद्यम)

5वीं मंजिल, ब्लॉक-2, प्लेट ए और बी,

एनबीसीसी टॉवर, पूर्वी किदवई नगर,

नई दिल्ली-110023, भारत**.**

### विषय सूची

पृ. सं.

1. परिचय 1
2. पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा नीति 4
3. पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा ढांचा 5

 3.1 पर्यावरण सुरक्षा ढांचा 5

3.2 सामाजिक सुरक्षा ढांचा

1. [इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में ईएसएमयू की संस्थागत स्थापना 5](#_TOC_250003)

4.1 [सुरक्षा अनुपालन के लिए क्षमता विकास 15](#_TOC_250002)

* 1. [पर्यावरण एवं सामाजि‍क सुरक्षा ढांचा(फ्रेमवर्क) के अपडेट 16](#_TOC_250001)

पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षा ढांचे के अनुलग्‍नक

1. पर्यावरण सुरक्षा ढांचे से संबंधित अनुलग्नकों की सूची 18

**(**अनुलग्‍नक ई -1से ई-7)

1. सामाजिक सुरक्षा ढांचे से संबंधित अनुलग्नकों की सूची

(अनुबंध एस-1 से एस-5)

 **संक्षेपाक्षर**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADB  | **-** | एशियाई विकास बैंक |
| CMD | **-** | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| COD | **-** | वाणिज्यिक संचालन तिथि |
| CRZ | **-** | तटीय विनियमन क्षेत्र |
| CTE | **-** | स्थापना के लिए सहमति |
| CTO | **-** | संचालित करने के लिए सहमति |
| DFIs | **-** | विकास वित्त संस्था |
| DMD | **-** | उप प्रबंध निदेशक |
| EA  | **-** | परिवेशीय आंकलन |
| EC | **-** | पर्यावरणीय निकासी |
| EDD | **-** | पर्यावरणीय सम्यक उद्यम |
| EIA | **-** | पर्यावरण प्रभाव आकलन |
| EIB | **-** | यूरोपीय निवेश बैंक |
| EMP | **-** | पर्यावरण प्रबंधन योजना |
| EPC | **-** | इंजीनियरिंग प्रापण निर्माण |
| ESSF | **-** | पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा ढांचा |
| ESF | **-** | पर्यावरण सुरक्षा ढांचा |
| ESIA | **-** | पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन |
| E&S | **-** | पर्यावरण और सामाजिक |
| ESSP | **-** | पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा नीति |
| ESMU | **-** | पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा प्रबंधन इकाई |
| FI | **-** | आर्थिक मध्यस्थता |
| GOI | **-** | भारत सरकार |
| IEE | **-** | प्रारंभिक पर्यावरण परीक्षा |
| IIFCL | **-** | इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड |
| IR | **-** | अनैच्छिक पुनर्वास |
| IP | - | स्थानीय लोग  |
| JICA | - | जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी |
| KfW | - | क्रेडिटान्‍सटाल्‍ट फार वीडरौफबौ(Kreditanstalt für Wiederaufbau)  |
| LIE | - | ऋणदाता के स्वतंत्र अभियंता |
| MOEF&CC | **-** | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय |
| MOU | **-** | समझौता ज्ञापन |
| O&M | **-** | प्रचालन एवं रखरखाव |
| PAP | **-** | परियोजना से प्रभावित व्यक्ति |
| PC | **-** | परियोजना चक्र |
| PIAL | **-** | प्रतिबंधित निवेश गतिविधियों की सूची |
| PPP | **-** | सरकारी निजी कंपनी भागीदारी |
| RAP | **-** | पुनर्वास कार्य योजना |
| RP | **-** | पुनर्वास योजना |
| SEIAA | **-** | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर्यावरण प्रभाव आकलन एजेंसी |
| SIA | **-** | सामाजिक प्रभाव आकलन |
| SPCB | **-** | राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड |
| SSF | **-** | सामाजिक सुरक्षा ढांचा |
| SIFTI | **-** | आईआईएफसीएल के माध्यम से अवसंरचना वित्तपोषण की योजना |
| SPV | **-** | विशेष प्रयोजन माध्यम साधन |
| TDP | **-** | आदिवासी विकास परियोजना  |
| TOR | **-** | संदर्भ की शर्तें |
| WB | **-** | विश्व बैंक  |

### परिचय

1. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) को 5 जनवरी 2006 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। आईआईएफसीएल (IIFCL) निम्नलिखित तौर-तरीकों के माध्यम से भारत में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सुविधाओं के विकास और वित्तपोषण के लिए एक शीर्ष वित्तीय मध्यस्थ है:

(i) दीर्घकालिक ऋण;

(ii) बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित वित्तीय संस्थाओं को उनके द्वारा दिए गए ऋणों के लिए पुनर्वित्त;

(iii) टेक-आउट वित्तपोषण;

(iv) अधीनस्थ ऋण;

(v) ऋण वृद्धि;

(vi) एनबीएफसी-आईएफसी पर लागू किसी विशेष योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत कोई अन्य तरीका; तथा

(vii) समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित योजना/तंत्र के तहत कोई अन्य मोड।

1. निम्नलिखित क्षेत्रों में परियोजनाएं आईआईएफ़सीएल के वित्तपोषण के लिए पात्र हैं:

### तालिका 1 : आईआईएफ़सीएल के वित्तपोषण के क्षेत्र (सेक्‍टर्स)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं  | क्षेत्र (सेक्‍टर्स) | उपक्षेत्र(सबसेक्‍टर्स)  |
| 1. | परिवहन एवं संभार तंत्र(लॉजिसिटक्‍स)  | सड़कें और पुलबंदरगाहों 1पोत प्रांगण(शिपयार्डस)2अंतर्देशीय जलमार्गहवाई पत्तनइलेक्ट्रिकल और सिग्नलिंग सिस्टम, सुरंगों, वायडक्ट्स, पुलों सहित रेलवे ट्रैककार्यशाला और संबंधित रखरखाव सुविधाओं के साथ रेलवे रोलिंग स्टॉकस्टेशनों और आसपास के वाणिज्यिक आधारभूत संरचना सहित रेलवे टर्मिनल आधारभूत संरचनाशहरी सार्वजनिक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)संभार तंत्र आधारभूत संरचना3थोक सामग्री परिवहन पाइपलाइन्‍स4  |
| 2. | ऊर्जा  | विद्युत उत्पादनविद्युत संचरण(ट्रांसमिसन) विद्युत वितरणतेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) भंडारण सुविधा5 ऊर्जा भंडारण प्रणाली(ईएसएस) 6  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं  | क्षेत्र (सेक्‍टर्स) | उपक्षेत्र(सबसेक्‍टर्स)  |
| 3. | जल और सफ़ाई व्यवस्था |  ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जल उपचार संयंत्र सीवेज संग्रह, उपचार और निपटान प्रणाली सिंचाई (बांध, चैनल, तटबंध आदि)तूफान जल निकासी प्रणाली |
| 4. | संचार | संचार(फिक्‍स्‍ड नेटवर्क)7 संचार टावर्स संचार एवं टेलीकाम सेवाएं डाटा केंद्र8 |
| 5. | सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढाँचा | शैक्षिक संस्‍थान (कैपिटल स्‍टाक) खेल संस्‍थान9अस्‍पताल (कैपिटल स्‍टाक)10पर्यटन अवसंरचना अर्थात। (i) दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित तीन सितारा या उच्च श्रेणी के वर्गीकृत होटल, (ii) रोपवे और केबल कारऔद्योगिक गतिविधियों के साथ औद्योगिक पार्कों और अन्य पार्कों के लिए सामान्य बुनियादी ढाँचा जैसे कि फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, पर्यटन सुविधाएं और कृषि बाजारशीतागार सहित कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए कटाई उपरांत भंडारण अवसंरचनाटर्मिनल बाजारमृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं; कोल्‍ड चेन(शीतलन श्रृंखला)11 किफायती आवास12 किफायती किराया आवास परिसर13 प्रदर्शनी बनाम सम्‍मेलन केन्‍द्र14 |

सूचना(नोट्स्‍)

*.*

1. पूंजीगत निष्कर्षण शामिल है
2. "शिपयार्ड" को फ्लोटिंग या लैंड-बेस्ड सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें तट , मोड़ घाटी बर्थिंग और डॉकिंग सुविधा, स्लिपवे और/या शिप लिफ्ट की आवश्यक विशेषताएं हैं, और जो जहाज निर्माण/मरम्मत/ब्रेकिंग गतिविधियों के लिए स्वयं पर्याप्त है।
3. "लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर" का अर्थ है और इसमें मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क शामिल है, जिसमें न्यूनतम 50 करोड़ रुपये के निवेश और *10* एकड़ के न्यूनतम क्षेत्र के साथ अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), 15 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश और *20,000* वर्ग फीट के न्यूनतम क्षेत्र के साथ कोल्ड चेन सुविधा और/या न्यूनतम 25 करोड़ रुपये के निवेश और न्यूनतम *1* लाख वर्ग फुट के क्षेत्र के साथ भण्डारण सुविधा शामिल है ।
4. . तेल, गैस, गारा, जल आपूर्ति और लौह अयस्क पाइपलाइन शामिल हैं
5. . इसमें कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण शामिल है।
6. इसमें 200 मेगावाट-हार्ज की न्यूनतम योग्यता क्षमता के साथ सघन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ईएसएस) शामिल है, बशर्ते कि ईएसएस को व्यापारिक आधार पर स्थापित नहीं किया जा रहा हो।
7. ऑप्टिक फाइबर/वायर/केबल नेटवर्क शामिल हैं जो ब्रॉडबैंड/इंटरनेट प्रदान करते हैं।
8. *डेटा सेंटर डिजिटल डेटा अनुप्रयोगों के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए एक समर्पित/केंद्रीकृत भवन में स्थित है, जिसकी न्यूनतम क्षमता 5 मेगावाट आईटी लोड है।*
9. खेलकूद और खेल संबंधी गतिविधियों में प्रशिक्षण/अनुसंधान के लिए अकादमियों के लिए खेल स्टेडियम और बुनियादी ढांचे का प्रावधान शामिल है।
10. इसमें मेडिकल कॉलेज, पैरा मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और डायग्नोस्टिक सेंटर शामिल हैं।
11. कृषि और संबद्ध उत्पादों, समुद्री उत्पादों और मांस के संरक्षण या भंडारण के लिए, फार्म स्तर पर पूर्व शीतलन के लिए शीत गृह सुविधा शामिल है।
12. ‘’किफायती आवास" को 60 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया @ वाली आवासीय इकाइयों के लिए फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर)/फ्लोर स्पेसइंडेक्स (एफएसआई) के कम से कम 50% का उपयोग करने वाली हाउसिंग परियोजना के रूप में परिभाषित किया गया है।
13. “"सस्ती किराये के आवास परिसर" का अर्थ है एक ऐसी परियोजना जिसका उपयोग केवल शहरी प्रवासी/गरीब (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणी) के लिए न्यूनतम 25 वर्षों की अवधि के लिए पानी, स्वच्छता, सीवरेज/सेप्टेज जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ किराये के उद्देश्य से किया जाता है। आवश्यक सामाजिक/वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे के साथ सड़क, बिजली और आसपास के क्षेत्र के स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर स्थानीय प्राधिकरण/संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रारंभिक किराया जहां परियोजना स्थित है। परियोजना का अर्थ है एक सूचीबद्ध परियोजना जिसमें डबल रूम या सिंगल रूम या समकक्ष शयनगृह इकाइयों की कम से कम 40 रिहायशी इकाइयाँ हों या किसी भी अनुपात में तीनों का मिश्रण हो लेकिन डबल बेडरूम इकाइयों के तहत कुल निर्मित क्षेत्र का एक तिहाई से अधिक नहीं हो। आवासीय इकाइयों (डीयू) का अर्थ है एक ऐसी इकाई जिसमें 60 वर्ग मीटर तक के कालीन क्षेत्र @ में रहने वाले क्षेत्र, रसोई, शौचालय और बाथरूम के साथ डबल बेड रूम या 30 वर्ग मीटर तक के रहने वाले क्षेत्र, रसोई, शौचालय और बाथरूम के साथ सिंगल बेड रूम शामिल हैं। कारपेट एरिया @.शयनगृह इकाइयों का अर्थ है 30 वर्ग मीटर कालीन क्षेत्र @ अर्थात 10 वर्ग मीटर कालीन क्षेत्र @ प्रति शयनगृह बिस्तर में आम रसोई, शौचालय और बाथरूम के साथ 3 शयनगृह बिस्तर का एक सेट। @ "कारपेट एरिया" का वही अर्थ होगा जो रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (के) में दिया गया है।
14. "प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र" को प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र परियोजनाओं के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें 100,000 वर्ग मीटर का न्यूनतम निर्मित फर्श क्षेत्र \* विशेष रूप से प्रदर्शनी स्थल या सम्मेलन स्थल या दोनों संयुक्त हैं।

\* निर्मित फ्लोर एरिया में प्राथमिक सुविधाएं जैसे प्रदर्शनी केंद्र, कन्वेंशन हॉल, ऑडिटोरियम, प्लेनरी हॉल, बिजनेस सेंटर, मीटिंग हॉल आदि शामिल हैं।

1. आईआईएफसीएल केवल व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं का वित्त पोषण करेगा। व्यवहार्य परियोजनाओं में उन परियोजनाओं को भी शामिल किया जा सकता है जो किसी सरकारी योजना के तहत व्यवहार्यता अंतर निधि प्राप्त करने के बाद व्यवहार्य हो जाएंगी। आईआईएफसीएल नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना को सिफटी(SIFTI- व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए योजना) के रूप में नामित किया गया है। इस योजना की समीक्षा भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) के माध्यम से और जब भी आवश्यक हो, आईआईएफसीएल को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाएगा। वित्त मंत्री के अनुमोदन के अधीन अधिकार प्राप्त समिति के स्तर पर सिफ्टी में संशोधन किया जा सकता है।
2. "इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए योजना" (योजना) के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र होने के लिए, एक परियोजना को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए:
	1. परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा (यानी, विकसित, वित्तपोषित और परियोजना अवधि के लिए संचालित):

 (क) एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी

(ख) निजी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) पहल के तहत चयनित एक निजी क्षेत्र की कंपनी

 (ग) एक निजी क्षेत्र की कंपनी

* 1. बशर्ते कि आईआईएफसीएल इस योजना के तहत निजी सार्वजनिक भागीदारी परियोजनाओं को ऋण देने के लिए अधिभावी प्राथमिकता प्रदान करेगा, जो निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, जिन्हें प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया है।
	2. बशर्ते कि आईआईएफसीएल आगे इस शर्त के अधीन निजी कंपनियों द्वारा स्थापित परियोजनाओं को सीधे उधार दे सकता है कि आईआईएफसीएल ऋण देने की अवधि वाणिज्यिक ऋण की सबसे लंबी अवधि से कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि, चूंकि आईआईएफसीएल की स्थापना दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए की गई थी, इसलिए वाणिज्यिक ऋण की तुलना में लंबी अवधि के ऋण प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

### 2. पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा नीति

1. आईआईएफसीएल मध्यम से बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्त पोषण करता है। वे प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। पर्यावरणीय रूप से सूचित और सामाजिक रूप से जिम्मेदार वित्तीय संस्थान के रूप में, आईआईएफसीएल अपने पोर्टफोलियो में परियोजनाओं के प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों, यदि कोई हो, से बचने/न्यूनीकरण /न्यूनीकरण का प्रयास करता है। इस उद्देश्य के लिए, IIFCL के पास इसे लागू करने के लिए एक पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा नीति (ESSP) और प्रक्रियात्मक ढांचा है।
2. ईएसएसपी विश्व बैंक (डब्ल्यूबी), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) जैसे बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास वित्तीय संस्थानों (डीएफआई) सहित यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी), जर्मन डेवलपमेंट बैंक, केएफ़डबल्यू (क्रेडिटन्स्तल्ट फर विएडेरौफ़्बौ)आदि अपने वित्तीय भागीदारों और उधारदाताओं की पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान देता है।
3. ईएसएसपी सतत विकास की दिशा में योगदान करने के लिए सक्रिय तरीके से पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास को अपने जनादेश में एकीकृत करने के लिए आईआईएफसीएल की दृष्टि से निर्देशित है। अपने संचालन में विकासात्मक अनिवार्यताओं, और पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन हासिल करने के लिए, आईआईएफसीएल:
	1. पर्यावरण और सामाजिक प्रतिकूल प्रभावों और जोखिमों, यदि कोई हो, से बचने, न्यूनीकरण और न्यूनीकरण के लिए क्रेडिट प्रस्ताव की जांच करने और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण में पर्यावरण और सामाजिक (E&S) सुरक्षा उपायों पर उचित विचार करता है; तथा
	2. भारत सरकार (GOI) और भारत के राज्यों की लागू पर्यावरणीय और सामाजिक नीतियों, कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए, कार्य करता है
4. ईएसएसपी को आईआईएफसीएल के पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा ढांचे (ईएसएसएफ) में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुसार लागू किया गया है।
5. ईएसएसएफ आईआईएफसीएल को वित्तपोषित परियोजनाओं से जुड़ी पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सक्षम तंत्र प्रदान करता है।

### 3. पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षा ढांचा

1. ईएसएसएफ के उद्देश्‍य ये हैं:
	1. प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों/जोखिमों के न्यूनीकरण /न्यूनीकरण का प्रयास करना;
	2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों और जोखिमों का न्यूनीकरण या न्यूनीकरण भारत सरकार और राज्यों के कानूनों और विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, और डीएफआई की पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है;
	3. बुनियादी ढांचे के विकास में शामिल विभिन्न हितधारकों को सुरक्षा उपायों के मुद्दों और निगरानी, रिपोर्टिंग और सुधारात्मक कार्रवाई करने, यदि कोई हो, के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए;
	4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना कार्यान्वयन के दौरान सुरक्षा अनुपालन के लिए तंत्र मौजूद हैं;
2. ईएसएसएफ आईआईएफसीएल द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण देने के लिए वित्तपोषित परियोजनाओं पर लागू होता है, अर्थात डीएफआई की क्रेडिट लाइन के तहत प्रत्यक्ष वित्तपोषण, टेकआउट और पुनर्वित्त। परियोजना वित्तपोषण में डीएफआई की भागीदारी के कारण किसी भी वृद्धिशील सुरक्षा आवश्यकताओं की विस्तृत सुरक्षा उपायों के दौरान पहचान की जाएगी और परियोजना विकासकर्ता के परामर्श से अतिरिक्त उपायों को लागू करने का प्रयास किया जाएगा।
3. डीएफआई की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत प्रस्तावित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए, सुरक्षा उपायों के अनुपालन की स्थिति को दर्शाते हुए ईएसडीडीआर के रूप में सुरक्षा संबंधी उचित सावधानी बरती जाएगी, जिसके लिए बाद के खंडों में ईएसएसएफ के साथ संलग्न विभिन्न चेकलिस्ट/प्रारूपों का उपयोग किया जाएगा। ये प्रक्रियाएं तब तक सक्रिय रहेंगी जब तक आईआईएफसीएल का परियोजना के प्रति एक्सपोजर पूरा नहीं हो जाता है, इस प्रकार परियोजना ऋण चक्र के साथ ईएसएसएफ को एकीकृत किया जाता है।
4. ईएसएसएफ में दो उप-ढांचे शामिल हैं, मुख्‍यत: पर्यावरण सुरक्षा ढांचा और सामाजिक सुरक्षा ढांचा। निम्नलिखित खंडों में, प्रत्येक ढांचे को विस्तृत किया गया है।

###  3.1 पर्यावरण सुरक्षा ढांचा

1. पर्यावरण सुरक्षा ढांचा (ESF) भारत सरकार के पर्यावरण कानूनों, विनियमों और विशेष रूप से EIA अधिसूचना, दिनांक 14 सितंबर 2006 में पाए गए EIA प्रक्रियाओं और समय-समय पर बाद के विभिन्न संशोधनों पर आधारित है। अधिसूचना परियोजनाओं के निर्माण और संचालन चरणों के दौरान जाँच परियोजनाओं, उनके पर्यावरणीय प्रभावों का दायरा, पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने और पर्यावरण अनुपालन निगरानी पर दिशानिर्देश प्रदान करती है।
2. अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के जाँच मानदंड में जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत पारेषण लाइन, सड़क चौड़ीकरण और निश्चित लंबाई तक परियोजनाओं को मजबूत करने, अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण संयंत्रों बिजली उत्पादन और दूरसंचार लाइनों आदि की निश्चित क्षमता तक जैसे कुछ क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना शामिल नहीं है। परिणामस्वरूप, ऐसी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, डीएफआई की पर्यावरणीय सुरक्षा नीतियों को संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने के लिए किसी भी भौतिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में, यथोचित सावधानी साइट के दौरे के निष्कर्षों और परियोजना विकासकर्ता से प्राप्त तकनीकी/ई एंड एस सुरक्षा उपायों की जानकारी पर आधारित होगी।
3. नामित क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित भारत सरकार की प्रक्रियाओं के अनुसार, एक परियोजना प्रस्तावक ड्राफ्ट ईआईए अध्ययन के आधार पर एक जन सुनवाई आयोजित करता है। सुनवाई का आयोजन संबंधित जिला प्रशासन और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। डीएफआई की पर्यावरणीय सुरक्षा नीतियों के लिए परियोजना चक्र (पीसी) के आरंभ में सभी परियोजना हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता होती है, अर्थात् सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से ईआईए/आईईई रिपोर्ट के दायरे के चरण में। भारतीय परिदृश्य में, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जिन्हें ईआईए अधिसूचना आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, अनिवार्य सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया से नहीं गुजरती हैं। हालांकि, जब भी आवश्यकता होगी, साइट के दौरे के समय परियोजना हितधारकों से फीडबैक लेने का प्रयास किया जाएगा।

### भारत सरकार की पर्यावरण नीति और नियामक ढांचा

17 ईएसएफ में शामिल भारत सरकार की पर्यावरण नीति और नियामक ढांचे के प्रमुख सिद्धांत नीचे सूचीबद्ध हैं। भारत सरकार देश के पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जनवरी 1977 में अपनाए गए 42वें संशोधन में पाए गए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A और 51A (g) में भारत सरकार की यह मौलिक जिम्मेदारी निहित है। ये लेख प्रदान करते हैं कि

 (i) राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करेगा (अनुच्छेद 48ए), और

 (ii) प्रत्येक नागरिक प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखने के लिए बाध्य है [अनुच्छेद 51ए (जी)]।

18. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) पर्यावरण नीतियों, कानूनों और नियमों को बनाने और MoEF&CC/SEIAA (राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण) द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, दिनांक 14 सितंबर 2006 (जब और जब संशोधित) की अनुसूची के अनुसार कोई भी विकासात्मक परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी (EC) जारी करने वाला भारत का प्रमुख नियामक निकाय है।

.

19. भारत सरकार की पर्यावरण नीति और नियामक ढांचे के प्रमुख परिचालन सिद्धांत निम्नलिखित हैं जो ईएसएफ़ में शामिल हैं।

(i) ईआईए प्रणाली मुख्य रूप से जैव-भौतिक और मानव पर्यावरण पर एक परियोजना के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों का आकलन करने और यह सुनिश्चित करने से संबंधित है कि इन प्रभावों को उचित पर्यावरण संरक्षण और वृद्धि उपायों द्वारा संबोधित किया जाता है।

(ii) ईआईए प्रणाली परियोजना प्रस्ताव योजनाओं में योजना में सभी विचारों को शामिल करने और उनकी परियोजना के प्रभाव को निर्धारित करने में सहायता करती है।

(iii) परियोजना प्रस्तावक अपनी प्रस्तावित परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों के व्यवस्थित मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाओं को निर्धारित करने और प्रकट करने के लिए जिम्मेदार हैं।

 (iv) केंद्रीय विनियामक प्राधिकरण/राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा ईआईए की समीक्षा निम्नलिखित मानदंडों द्वारा निर्देशित होती है:

 (क) पर्यावरण संबंधी विचार समग्र परियोजना योजना में एकीकृत हैं; तथा

 (ख) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ध्वनि है, और प्रस्तावित पर्यावरणीय न्यूनीकरण उपाय प्रभावी हैं।

* 1. ईआईए की प्रभावी विनियामक समीक्षा परियोजना के प्रस्तावकों द्वारा परियोजना हितधारकों को ईआईए में प्रासंगिक जानकारी के समय पर, पूर्ण और सटीक प्रकटीकरण पर निर्भर करती है।
	2. Public consultation is a part of EIA and is assessed in considering EC application. सार्वजनिक परामर्श ईआईए का एक हिस्सा है और ईसी आवेदन पर विचार करते समय इसका मूल्यांकन किया जाता है।

20 उपरोक्त परिचालन सिद्धांतों के प्रभावी कार्यान्वयन को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने सितंबर 2006 में अपनी ईआईए अधिसूचना को अद्यतन किया।

21. भारत सरकार की ईआईए और ईसी प्रणाली का विस्तृत विवरण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वेबसाइट www.moef.gov.in में प्रस्तुत किया गया है। आईआईएफसीएल के ईएसएफ में ईआईए अधिसूचना, 2006 और बाद के संशोधनों की विशिष्ट आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। **तालिका 2** भारत सरकार की पर्यावरण नीति और नियामक ढांचे और डीएफआई की पर्यावरण सुरक्षा नीतियों के बीच समानता स्थापित करने में विचार किए जाने वाले प्रमुख तत्वों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

### तालिका 2: भारत सरकार की पर्यावरण नीति और नियामक ढांचे और डीएफआईज(DFIs) पर्यावरण सुरक्षा नीति आवश्यकताओं के बीच समानता का आकलन करने में विचार किए जाने वाले तत्व

|  |  |
| --- | --- |
| मद  | विवरण  |
| अवलोकन | * **उनके आवेदन का उद्देश्य**
* **विषय/दायरा**
* **पर्यावरण मूल्यांकन की आवश्यकता वाली परियोजनाएं**
* **कानूनी आवश्यकताएं/मानक लागू**
* **सामान्य जिम्मेदारियां**
* **समय**
 |
| जाँच | * **जाँच प्रक्रिया**
* **उपकरण जाँच**
* **श्रेणियाँ**
* **श्रेणीकरण के लिए ओवरराइडिंग मानदंड**
* **जाँच के परिणामस्वरूप ईए गतिविधियां**
* **जाँच जिम्मेदारियां**
 |
| ईए के संदर्भ की शर्तें (टीओआर)। | * टीओआर तैयार करने और समीक्षा के लिए उत्तरदायित्व
* उपयोग किए जाने वाले उपकरण और विधि
* लागू मानक
 |
| ईए दस्तावेज | * **सामग्री**
* **ईए अध्ययन के लिए जिम्मेदारियां**
* **ईए अध्ययन की समीक्षा के लिए जिम्मेदारियां**
* **भाषा जिसमें ईए अध्ययनों की सूचना दी जाती है**
 |
| प्रभाव न्यूनीकरण  | * न्यूनीकरण के सिद्धांत
* पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)
* ईएमपी बजट
 |
| परामर्श और प्रकटीकरण | * सार्वजनिक परामर्श आवश्यकताएँ
* सूचना प्रकटीकरण आवश्यकताएँ
 |
| क्रियान्‍वयन एवं निगरानी  | * ईएमपी का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी
 |

ईए(EA) = पर्यावरण मूल्‍यांकन

1. .परियोजना वित्तपोषण में डीएफआई की भागीदारी के कारण किसी भी वृद्धिशील सुरक्षा आवश्यकताओं की पहचान विस्तृत सुरक्षा उपायों के दौरान उचित परिश्रम प्रक्रिया के दौरान की जाएगी और इसमें शामिल परियोजना डेवलपर आईआईएफसीएल और डीएफआई के साथ आपसी समझौते को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। जहां भी डीएफआई की वित्तीय सहायता शामिल है, प्रत्येक परियोजना की डीएफआई की प्रतिबंधित निवेश गतिविधियों की सूची (पीआईएएल) के साथ भी जांच की जाएगी। नमूना उद्देश्य के लिए, एडीबी की पीआईएएल गतिविधियों की एक सूची **अनुलग्‍नक ई-1** में दी गई है।

23. सुरक्षा उपायों के मूल्यांकन से संबंधित ईएसएफ के परिचालनात्मक कदम नीचे दिए गए हैं।

* + 1. **प्रत्यक्ष ऋण के तहत परियोजनाओं के लिए सुरक्षा उपायों के संचालन के लिए प्रक्रिया जो डीएफआई की क्रेडिट लाइन के लिए प्रस्तुत की गई हैं ।**

24. कंसोर्टियम लेंडिंग के तहत, लीड और नॉन-लीड मामलों में, आईआईएफसीएल परियोजना चक्र में देर से प्रवेश करता है, जब परियोजना के नियोजन दस्तावेज जैसे ईआईए/ईएमपी, एसआईए/आरएपी और भूमि अधिग्रहण/मुआवजा आदि बहुत पहले पूरे हो जाते। सुरक्षा उपायों से संबंधित दस्तावेजों का मूल्यांकन, मंजूरी/अनुमोदन उन लागू कानूनों के अनुसार किया जाएगा जिनके तहत उस समय ये अनुमोदन लिए गए थे। द्वितीयक मूल्यांकन के भाग के रूप में आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेजों और सूचनाओं की सूची **अनुलग्‍नक ई-2** में दी गई है।

25. आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर, ईएसएमयू परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में लागू सुरक्षा उपायों के अनुपालन के लिए आईआईएफसीएल की पुनर्वित्त योजना के तहत वित्तपोषित परियोजनाओं, प्रत्यक्ष ऋण, टेकआउट वित्त और परियोजनाओं की जांच करेगा। अनुसरण किए जाने वाले कदमों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

* 1. डीएफआई की लाइन के तहत प्रस्तुत किसी भी उप-परियोजना को वर्गीकृत करने के लिए, वर्गीकरण की ईएसएफ योजना (ए/बी/सी) का पालन किया जाएगा जो डीएफआई की वर्गीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप है।
	2. लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार पर्यावरण अनुपालन की जाँच करें और प्रत्यक्ष ऋण के तहत पर्यावरणीय सम्यक् परिश्रम की तैयारी के लिए दस्तावेज़ जाँच सूची अनुबंध ई-3 के रूप में संलग्न है। श्रेणी 'ए' परियोजनाओं के लिए, डीएफआई की सुरक्षा नीति के लिए 120 दिनों की पूर्व स्वीकृति के लिए ईआईए दस्तावेज़ के सार्वजनिक प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है। भारत सरकार की ईआईए अधिसूचना प्रावधान करती है कि पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तुरंत अपनी वेबसाइट पर पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट का मसौदा प्रदर्शित करेगा, और मंत्रालय के कार्यालय में सामान्य कार्यालय समय के दौरान अधिसूचित स्थान पर संदर्भ के लिए ईआईए का पूरा मसौदा भी उपलब्ध कराएगा। ईआईए रिपोर्ट उन सरकारी कार्यालयों में पहले ही प्रकट की जा चुकी हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में परियोजना स्थित होगी: (ए) जिला मजिस्ट्रेट (बी) जिला परिषद या नगर निगम (सी) जिला उद्योग कार्यालय (डी) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रधान कार्यालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालय (ई) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय ईआईए अधिसूचना 2006 में निर्दिष्ट सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में, एमओईएफएंडसीसी द्वारा परियोजना को पर्यावरण मंजूरी जारी करने से पहले, इसे डीएफआई की सार्वजनिक प्रकटीकरण आवश्यकता के 'अनुपालन' के रूप में माना जा सकता है।
	3. पैरा 15 में पहले से चर्चा किए गए कुछ बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में, जहां राष्ट्रीय और राज्य कानूनों और विनियमों के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में, उचित सावधानी साइट के दौरे के निष्कर्षों और डेवलपर से प्राप्त तकनीकी/सुरक्षा उपायों की जानकारी पर आधारित होगी। श्रेणी ए और बी परियोजनाओं के लिए, ईएसएमयू टीम परियोजना स्थलों का दौरा करेगी।

सम्यक उद्यम रिपोर्ट की रूपरेखा **अनुलगनक ई-4** के तहत सुझाई गई है।

### तालिका 3 : पर्यावरण सुरक्षा आवश्‍यकताएं

|  |  |
| --- | --- |
| श्रेणी (जोखिम रेटिंग) | पर्यावरण सुरक्षाएं  |
| श्रेणी ए (संभावित महत्वपूर्ण प्रभावों के साथ) |  अनुपालन करें(i) राष्ट्रीय कानून और विनियम(ii) परियोजना विकासकर्ता, आईआईएफसीएल और संबंधित डीएफआई के साथ समझौते में डीएफआई की सुरक्षा नीति के अनुसार यदि कोई वृद्धिशील सुरक्षा आवश्यकतायेँ हो तो उनका कार्यान्वयन करे।  |
| श्रेणी बी (कम महत्वपूर्ण प्रभावों के साथ) | लागू राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों का अनुपालन करें |
| श्रेणी सी (न्यूनतम या कोई सामान्य प्रभाव के साथ) | लागू राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों का अनुपालन करें |

* + 1. **टेक-आउट वित्त योजना के तहत डीएफआई की क्रेडिट लाइन के लिए प्रस्तुत परियोजनाओं के लिए उचित सावधानी बरतने की प्रक्रिया**

 26. टेक-आउट वित्त योजना के तहत, किसी भी परियोजना में आईआईएफसीएल की नियुक्ति परियोजना के निर्माण चरण के पूरा होने के बाद होती है। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित पीपीपी सड़क परियोजनाओं (वार्षिकी आधार) और अन्य क्षेत्रों के मामलों को छोड़कर, "टेक-आउट" का संवितरण आम तौर पर परियोजना की वास्तविक वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) के लगभग 1 वर्ष बाद होगा। ऐसे मामलों में सीओडी के तुरंत बाद टेक-आउट हो सकता है।

27. सीओडी प्राप्त करने के बाद आईआईएफसीएल के परियोजना जीवन चक्र में प्रवेश करने वाली किसी भी परियोजना के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएँ पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का मार्गदर्शन करेंगी:

28. चूंकि अंतरण वित्त पोषण योजनामें आईआईएफसीएल की भागीदारी केवल एक परियोजना के संचालन चरण के दौरान होती है, पर्यावरण और सामाजिक उचित परिश्रम में इसकी भूमिका पोस्ट-सीओडी चरण के लिए लागू सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने तक सीमित होगी। टेकआउट के लिए, आईआईएफसीएल संचालन चरण के दौरान लागू होने वाले किसी भी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों से संबंधित जोखिमों का आकलन करने के लिए एक पर्यावरणीय उचित परिश्रम (EDD) अध्ययन करेगा। EDD की तैयारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों और विकासकर्ता और परियोजना हितधारकों के साथ चर्चाओं पर आधारित होगी। पर्यावरणीय उचित सावधानी (ईडीडी) रिपोर्ट पुष्टि करेगी (सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी से और ओ एंड एम परियोजना टीम द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर) कि:

* उप-परियोजना लागू राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों के अनुपालन में थी;
* आईआईएफसीएल या डीएफआई में से किसी के लिए भी कोई महत्वपूर्ण बकाया कानूनी या विरासती मामला लंबित नहीं है और कोई महत्वपूर्ण बकाया जोखिम नहीं है;
* सुरक्षा उपायों पर राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार उप-परियोजनाओं के निर्माण चरण के दौरान पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं को लागू किया गया है।

29. पोस्ट-सीओडी परियोजना सुरक्षा मूल्यांकन मुख्य रूप से ओ एंड एम चरण के दौरान लागू सुरक्षा उपायों के अनुपालन आवश्यकताओं पर आधारित है। आईआईएफसीएल के पर्यावरण सुरक्षा विशेषज्ञ परियोजना विकासकर्ता द्वारा प्रदान किए गए उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर परियोजना के विकास के विभिन्न चरणों के अनुसार सुरक्षा उपायों के अनुपालन के लिए परियोजना की समीक्षा करेंगे। किसी भी टेकआउट परियोजना में सुरक्षा उपायों के अनुपालन और कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी के लिए चेकलिस्ट **अनुलग्‍नक ई-5** में है।

30. परिचालन संबंधी जोखिम आमतौर पर परियोजना ओ एंड एम चरण के दौरान उत्पन्न होते हैं जो आगे की नियामक कार्रवाई जैसे सुधारात्मक कार्य योजना या सार्वजनिक विरोध का कारण बन सकते हैं। ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए, आईआईएफसीएल परियोजना विकासकर्ता से नियमित परिचालन चरण रिपोर्ट साझा करने और मानकों के गैर-अनुपालन या जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव के मामले में किए गए सुधारात्मक उपायों के बारे में सूचित करने का अनुरोध करेगा। किसी भी उप-परियोजना में डीएफआई की क्रेडिट भागीदारी के कारण, परियोजना विकासकर्ता, आईआईएफसीएल और संबंधित डीएफआई के साथ पारस्परिक समझौते द्वारा न्यूनतम वृद्धिशील सुरक्षा उपायों को लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

###  सुरक्षा अनुपालन निगरानी और रिपोर्टिंग

31. आईआईएफ़सीएल द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की समय-समय पर एलआईई द्वारा निगरानी की जाती है और समय-समय पर आईआईएफ़सीएल के साथ रिपोर्ट साझा की जाती है।

**डीएफ़आई की क्रेडिट लाइन** के तहत, सुरक्षा उपायों के अनुपालन की निगरानी और रिपोर्टिंग से संबंधित निम्नलिखित प्रक्रियाएँ प्रत्यक्ष उधार और अंतरण वित्त पोषण योजना के तहत पुनर्वित्त परियोजनाओं के लिए लागू होंगी:

* 1. आवधिक सुरक्षा उपायों की निगरानी के हिस्से के रूप में, विभिन्न डीएफ़आई की क्रेडिट लाइन के तहत पुनर्वित्त/अनुमोदित परियोजनाओं के लिए; ईएसएमयू कर्मचारियों द्वारा साइट का दौरा केवल उन परियोजनाओं के संबंध में आयोजित किया जाएगा जहां पर्यावरण और सामाजिक उचित परिश्रम रिपोर्ट तैयार करने के दौरान महत्वपूर्ण/लंबित मुद्दों की पहचान की गई है। शेष परियोजनाओं के लिए, परियोजना विकासकर्ताओं से प्राप्त सुरक्षा उपायों के अनुपालन की जानकारी के आधार पर ईएसएमयू द्वारा आवश्यकता आधारित वार्षिक लेखापरीक्षा की जाएगी।
	2. परियोजना प्रस्तावक विभिन्न परियोजना गतिविधियों के लिए आईआईएफसीएल को आवधिक पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसके लिए **अनुलगनक ई-6** में पर्यावरण निगरानी का दायरा सुझाया गया है।
	3. श्रेणी ए(क) और बी(ख) परियोजनाओं के लिए आवधिक निगरानी रिपोर्ट (परियोजना प्रस्तावक द्वारा तैयार और प्रस्तुत) की समीक्षा के आधार पर और साइट का दौरा अवलोकन, ईएसएमयू आवश्यकता आधारित आवधिक पर्यावरण सुरक्षा प्रदर्शन रिपोर्ट तैयार करेगा। एडीबी लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाने वाला नमूना प्रारूप **अनुलग्‍नक ई-7** के रूप में संलग्न है। अन्य डीएफआई के लिए, संबंधित डीएफआई की सुरक्षा उपायों की अनुपालन आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षा उपायों की निगरानी और रिपोर्टिंग प्रारूप अलग-अलग होंगे।

### 3.2 सामाजिक सुरक्षा ढांचा

* + 1. सामाजिक सुरक्षा ढांचा (SSF) के उद्देश्‍य

32. एसएसएफ का मुख्य उद्देश्य उधारकर्ताओं को आईआईएफसीएल से ऋण सहायता मांगते समय सुरक्षा नीति के मुद्दों पर मार्गदर्शन करना और परियोजना के कार्यान्वयन की बाद में निगरानी करना, रिपोर्टिंग करना, यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई हो तो करना है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास या विस्तार से कभी-कभी जनजातीय लोगों सहित व्यक्तियों और समुदायों पर अनैच्छिक पुनर्वास (आईआर) का प्रभाव पड़ता है। जहां आदिवासी लोग परियोजना से प्रभावित व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय कानूनों के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए परामर्श करना आवश्यक है।

33. एसएसएफ के अन्य प्रमुख उद्देश्य यह प्रयास करना है कि परियोजना से प्रभावित व्यक्ति प्रस्तावित परियोजनाओं से यथासंभव लाभान्वित हों।

34. आईआईएफसीएल इस बात पर ध्यान देगा कि वित्तपोषण के लिए प्रस्तुत की गई किसी भी परियोजना के आईआर प्रभावों को भारत सरकार और राज्य के कानूनों और विनियमों का पालन करते हुए निपटाया जाए।

35 एसएसएफ प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है कि परियोजना की योजना और कार्यान्वयन करते समय, अनैच्छिक पुनर्वास से संबंधित निम्नलिखित पहलुओं को उधारकर्ता/परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबोधित किया जाता है:

1. यदि संभव हो तो भौतिक विस्थापन और अनैच्छिक स्थानांतरण से बचें/न्यूनतम करें/न्यूनीकरण करें;
2. भौतिक विस्थापन और अनैच्छिक स्थानांतरण से बचने/न्यूनतम करने/न्यूनीकरण करने के लिए विकल्पों का अन्वेषण करें और यदि भौतिक विस्थापन अपरिहार्य है तो अनैच्छिक स्थानांतरण को कम करें;
3. भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, पुनर्वास और आय पुनर्वास संबंधी क्षेत्रों पर परियोजना-प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) से परामर्श करें;
4. यह जांचना कि पीएपी लागू राष्ट्रीय नीति के अनुसार मुआवजा, पुनर्वास सहायता और आय पुनर्वास सहायता प्राप्त करते हैं;
5. भूमि और अन्य संपत्तियों को लेने से पहले यह जांचना कि मुआवजे का भुगतान किया गया है;
6. यह जांचने के लिए कि परियोजना की जानकारी समयबद्ध तरीके से प्रसारित की जानी चाहिए
7. एसएसएफ प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है कि परियोजना की योजना और कार्यान्वयन के दौरान, जनजातीय लोगों पर किसी भी प्रभाव से संबंधित पहलुओं को भारत सरकार और राज्य कानूनों और विनियमों के अनुसार संबोधित किया जाता है।

### सामाजिक सुरक्षा अनुपालन समीक्षा और सामाजिक सुरक्षा उचित परिश्रम प्रक्रिया

1. सुरक्षा मूल्यांकन और उचित सावधानी अध्ययन के लिए परिचालनात्मक कदम नीचे दिए गए हैं:

### प्रत्यक्ष ऋण के तहत परियोजनाओं के लिए उचित सावधानी बरतने की प्रक्रिया जो डीएफआई की क्रेडिट लाइन के लिए प्रस्तुत की गई है

1. कंसोर्टियम लेंडिंग के तहत, लीड और नॉन-लीड मामलों में, आईआईएफसीएल परियोजना चक्र में देरी से प्रवेश करता है जब परियोजना के नियोजन दस्तावेज जैसे ईआईए/ईएमपी, एसआईए/आरएपी और भूमि अधिग्रहण/मुआवजा आदि को रियायती अधिकारियों द्वारा पहले ही पूरा कर लिया गया होगा। ईएसएमयू में शामिल होने के लिए। सुरक्षा उपायों से संबंधित दस्तावेजों का मूल्यांकन, मंजूरी/अनुमोदन उन लागू कानूनों के अनुसार किया जाएगा जिनके तहत उस समय ये अनुमोदन लिए गए थे। द्वितीयक मूल्यांकन के भाग के रूप में आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेजों और सूचनाओं की सूची **अनुलग्‍नक एस-1** में दी गई है।
2. ईएसएमयू प्रासंगिक सामाजिक सुरक्षा दस्तावेजों और लीड बैंक/लीड सिंडिकेटर/उधारकर्ता/परियोजना विकासकर्ता से जानकारी प्राप्त करने के बाद सामाजिक उचित सावधानी अध्ययन शुरू करता है। सामाजिक सुरक्षा यथोचित परिश्रम अध्ययन के भाग के रूप में आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेजों और सूचनाओं की सूची **अनुलग्‍नक एस-2** में दी गई है। आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर, ईएसएमयू विभिन्न चरणों में लागू सामाजिक सुरक्षा अनुपालन के लिए परियोजना की जांच करेगा। अनुसरण किए जाने वाले कदम:
* जनजातीय लोगों पर अनैच्छिक पुनर्वास प्रभावों और प्रभावों के लिए प्रस्तावित उप- परियोजनाओं की जांच करना।
* अनैच्छिक पुनर्वास और जनजातीय लोगों की सुरक्षा के लिए लागू राष्ट्रीय नीतियों के विरुद्ध पुनर्स्थापन योजना (RP) और/या जनजातीय विकास योजना (TDP) की समीक्षा करें।
* ऐसे मामलों में, जहां न्यूनतम वृद्धिशील आवश्यकताओं की पहचान की जाती है, आईआईएफसीएल परियोजना विकासकर्ता, आईआईएफसीएल और डीएफआई के साथ आपसी समझौते में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लागू करने का प्रयास करेगा।
1. समीक्षाधीन उप-परियोजनाओं के सुरक्षा उपायों के प्रभावों की प्रकृति और परिमाण के अनुसार सम्यक उद्यम का स्तर अलग-अलग होगा। यदि बहुत कम प्रभाव हैं, जैसे कि सड़क सुदृढ़ीकरण, सौर या पारेषण उप-परियोजनाएं, तो उचित परिश्रम का स्तर आनुपातिक रूप से सरल होगा। कुछ मामलों/क्षेत्रों में जहां भारत सरकार के दिशानिर्देशों के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) रिपोर्ट या पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मामलों में ईएसडीडीआर साइट के दौरे के निष्कर्षों और डेवलपर से प्राप्त सुरक्षा उपायों की जानकारी के आधार पर तैयार किया जाएगा। सामाजिक सम्यक उद्यम रिपोर्ट की रूपरेखा **अनुलग्‍नक एस-3** में दी गई है।
2. यह अपेक्षा की जाती है कि परियोजना प्रस्तावक आईआईएफसीएल को सभी अनुरोधित जानकारी प्रदान करेगा और लागू सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं के संबंध में पर्याप्त जवाबदेही प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए। ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट उधारकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए सामाजिक सुरक्षा दस्तावेजों की डेस्क समीक्षा, आईआईएफसीएल के सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञ द्वारा साइट के दौरे और सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार की जाएगी। उचित परिश्रम रिपोर्ट को परियोजना विकासकर्ता के साथ और परियोजना के पुनर्वित्त में उनकी भागीदारी के मामले में डीएफआई के साथ भी साझा किया जाएगा।

### अंतरण वित्त पोषण योजना के तहत डीएफआई की क्रेडिट लाइन के लिए प्रस्तुत परियोजनाओं के लिए उचित सावधानी बरतने की प्रक्रिया

1. अंतरण वित्त पोषण योजना के तहत, आईआईएफसीएल की एक परियोजना में भागीदारी परियोजना के निर्माण चरण के पूरा होने के बाद होगी। पीपीपी सड़क परियोजनाओं (वार्षिक आधार) और उन परियोजनाओं को छोड़कर जिन्हें अधिकार प्राप्त समिति का अनुमोदन प्राप्त हो सकता है, को छोड़कर "अंतरण" का संवितरण आम तौर पर परियोजना की वास्तविक वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) के लगभग 1 वर्ष बाद होगा। ऐसे मामलों में सीओडी के तुरंत बाद "अंतरण" हो सकता है।
2. चूंकि टीएफएस के तहत सहायता वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) के शुरू होने के कम से कम एक वर्ष के बाद ही स्वीकृत की जाती है, यह उम्मीद की जाती है कि लागू राज्य, राष्ट्रीय दिशानिर्देशों/नियमों के अनुसार सुरक्षा मुद्दों को तब तक संबोधित किया गया होगा। अंतरण के लिए, आईआईएफसीएल संचालन चरण के दौरान लागू होने वाले किसी भी सामाजिक सुरक्षा उपायों से संबंधित जोखिमों का आकलन करने के लिए एक सामाजिक सम्यक परिश्रम (एसडीडी) अध्ययन करेगा। एसडीडी की तैयारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों, डेवलपर और परियोजना हितधारकों के साथ विचार-विमर्श और साइट के दौरे पर आधारित होगी। सामाजिक सुरक्षा उपायों के अनुपालन और किसी परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित आवश्यक जानकारी के लिए सांकेतिक चेकलिस्ट **अनुलग्‍नक एस-4** में संलग्न है।
3. सोशल ड्यू डिलिजेंस (एसडीडी) रिपोर्ट पुष्टि करेगी (सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी से और ओ एंड एम प्रोजेक्ट टीम द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर) कि:
	* उप-परियोजना लागू राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा नीतियों के अनुपालन में थी;
	* भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के पहलुओं से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कानूनी या विरासती मामला लंबित नहीं है;
	* सामाजिक सुरक्षा उपायों पर राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार उप-परियोजनाओं के निर्माण चरण के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं को लागू किया गया है;
	* यह जांचने के लिए कि परियोजना विकासकर्ता ने हितधारकों से प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र को लागू किया है या नहीं।

### 3.2.3 निगरानी और रिपोर्टिंग

1. आईआईएफसीएल द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की नियमित रूप से एलआईई द्वारा निगरानी की जाती है और एलआईई रिपोर्ट की आवधिक आधार पर आईआईएफसीएल द्वारा समीक्षा की जाती है।
2. डीएफआई की क्रेडिट लाइन के तहत स्वीकृत परियोजना का उसके सामाजिक सुरक्षा अनुपालन प्रदर्शन के लिए समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा, जैसा कि डीएफआई के साथ सहमति हो सकती है, या जब भी आवश्यक हो। परियोजना प्रस्तावक विभिन्न परियोजना गतिविधियों के लिए आईआईएफसीएल को समय-समय पर सामाजिक सुरक्षा निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए **अनुलग्‍नक एस-5** में सामाजिक निगरानी का दायरा सुझाया गया है।
3. परियोजनाओं के लिए आवधिक निगरानी रिपोर्ट की समीक्षा के आधार पर (परियोजना प्रस्तावक द्वारा तैयार और प्रस्तुत) और साइट का दौरा अवलोकन, ईएसएमयू आवश्यकता आधारित आवधिक पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन रिपोर्ट तैयार करेगा। एडीबी के लिए प्रयुक्त नमूना प्रारूप **अनुलग्‍नक ई-7** के रूप में संलग्न है।

**4. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में ईएसएमयू का संस्थागत सेटअप**

1. ईएसएमयू की स्थापना आईआईएफसीएल में वर्ष 2010 में ईएसएसएफ को संचालित करने और परियोजनाओं की सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। **चित्र 1** ईएसएमयू की वर्तमान संगठनात्मक संरचना को दर्शाता है।

### चित्र 1: ईएसएमयू का ऑर्गनोग्राम

Assistant General Manager

सहायक महाप्रबंधक (पर्यावरण सुरक्षा विशेषज्ञ)

प्रबंधक (सामाजिक सुरक्षा)

महाप्रबंधक और प्रमुख-ईएसएमयू

मुख्य महाप्रबंधक

प्रबंध निदेशक

उप प्रबंध निदेशक

एडीबी टीए सलाहकार

(पर्यावरण सुरक्षा)

एडीबी टीए सलाहकार

(सामाजिक सुरक्षा)

###

1. The ESMU is headed by a full-time General Manager of IIFCL and currently two full-time officers are engaged as environment safeguards specialist along with a Research Associate for social safeguards area. ESMU has also recruited two full time consultants- one social and one environment, on contractual basis to support the team. This set-up would be further strengthened in future based on need.

### 4.1 Capacity Development for Safeguards Compliance

### The IIFCL’s ESMU will receive capacity building training in (i) screening prospective subprojects for Environmental safeguards Impacts and IR & tribal impacts,(ii) regulatory requirements related to environment

.

1. एसएमयू का नेतृत्व आईआईएफसीएल के एक पूर्णकालिक महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है और वर्तमान में दो पूर्णकालिक अधिकारी सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र के लिए एक अनुसंधान सहयोगी के साथ-साथ पर्यावरण सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं। ईएसएमयू ने टीम का समर्थन करने के लिए अनुबंध के आधार पर दो पूर्णकालिक सलाहकारों - एक सामाजिक और एक पर्यावरण - की भी भर्ती की है। भविष्य में आवश्यकता के आधार पर इस व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। .

**4.1 सुरक्षा अनुपालन के लिए क्षमता विकास**

1. आईआईएफ़सीएल का ईएसएमयू (i) पर्यावरणीय सुरक्षा प्रभावों और आईआर और जनजातीय प्रभावों के लिए भावी उप-परियोजनाओं की स्क्रीनिंग, (ii) पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, श्रम, सामाजिक सुरक्षा/सामुदायिक कल्याण, भूमि से संबंधित नियामक आवश्यकताओं में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। , आदिवासी और संबंधित मुद्दे, (iii) विभिन्न डीएफआई की सुरक्षा नीति की आवश्यकताएं (iv) अवसंरचना क्षेत्र में सुरक्षा उपायों के प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सर्वोत्तम प्रथाएं (iv) सुरक्षा प्रबंधन योजना की तैयारी और सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन, (v) सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी, और (vi) सुरक्षा अनुपालन रिपोर्टिंग।

### 4.2 पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्क अद्यतन

1. आईआईएफसीएल अपनी वेबसाइट पर ईएसएसएफ का रखरखाव करता है
2. आईआईएफसीएल समय-समय पर ईएसएसएफ की समीक्षा और अद्यतन करता है। ईएसएसएफ को संशोधित और अद्यतन करने की आवश्यकता विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं में ईएसएसएफ को लागू करने और समय-समय पर सामाजिक सुरक्षा उपायों से संबंधित भारत सरकार की पर्यावरण नीतियों/नियामक ढांचे और नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए संचित विशाल अनुभव को समेकित करने की आवश्यकता से उत्पन्न होती है। ईएसएसएफ का संशोधन और अद्यतन ईएसएमयू की जिम्मेदारी होगी

 **पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा ढांचे के अनुलग्‍नक**

1. पर्यावरण सुरक्षा ढांचे से संबंधित अनुलग्नकों की सूची (**अनुलग्‍नक ई-1 से ई-7)**

2. सामाजिक सुरक्षा ढांचे से संबंधित अनुलग्नकों की सूची (अनुलग्‍नक एस-1 से एस-5)

ईएसएफ से संबंधित अनुलग्नकों की सूची (अनुलग्नक ई-1 से ई-7)

| अनुलग्नक संख्या | अनुलग्नक का शीर्षक | टिप्पणी |
| --- | --- | --- |
| **अनुलग्नक ई-1** | डीएफआई की प्रतिबंधित निवेश गतिविधियों की सूची का नमूना। | एडीबी की विभिन्न प्रतिबंधित निवेश गतिविधियों की सूची प्रदान करता है। अन्य डीएफआई के लिए, सूची भिन्न हो सकती है। |
| **अनुलग्नक ई-2** | प्रमुख बैंकों/उप-उधारकर्ताओं (एसपीवी) द्वारा ऋण आवेदन के लिए आईआईएफसीएल को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची। | उन दस्तावेज़ों की सूची प्रदान करता है जिन्हें प्रमुख बैंकों/उप-उधारकर्ताओं द्वारा आईआईएफ़सीएल को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है ताकि परियोजना में पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखा जा सके। |
| **अनुलग्नक ई-3** | प्रत्यक्ष ऋण योजना के तहत ईडीडीआर तैयार करने के लिए आवश्यक दस्तावेज की सांकेतिक सूची। | उन दस्तावेज़ों की सूची प्रदान करता है जिन्हें उप-उधारकर्ताओं द्वारा आईआईएफ़सीएल को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है ताकि निर्माण-पूर्व/निर्माण चरण में परियोजना के पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को उचित सावधानी से पूरा किया जा सके। |
| **अनुलग्नक ई-4** | उपपरियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय सम्यक उद्यम रिपोर्ट की सुझाई गई रूपरेखा। | उपपरियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय डीडीआर की रूपरेखा प्रदान करता है। |
| **अनुलग्नक ई-5** | अंतरण वित्त योजना के तहत ईडीडीआर तैयार करने के लिए आवश्यक दस्तावेज की सुझाई गई सूची । | उन दस्तावेज़ों की सूची प्रदान करता है जिन्हें उप-उधारकर्ताओं द्वारा आईआईएफ़सीएल को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है ताकि संचालन और रखरखाव चरण में परियोजना के पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को उचित परिश्रम से सुगम बनाया जा सके। |
| **अनुलग्नक ई-6**  | **उधारकर्ताओं द्वारा जमा की जाने वाली उपपरियोजनाओं के लिए आवधिक पर्यावरणीय सुरक्षा अनुपालन निगरानी रिपोर्ट के लिए सुझाई गई सूची ।** | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली उपपरियोजनाओं के लिए आवधिक पर्यावरणीय सुरक्षा अनुपालन निगरानी रिपोर्ट के लिए गुंजाइश प्रदान करता है। |
| **अनुलग्नक ई-7** | डीएफआई की क्रेडिट लाइन के तहत अनुमोदित उप-परियोजनाओं के लिए आवधिक पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन रिपोर्ट का नमूना प्रारूप | संलग्न प्रारूप एडीबी क्रेडिट लाइन के तहत अनुमोदित उप-परियोजनाओं के लिए आवधिक पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन रिपोर्ट की रूपरेखा प्रदान करता है। अन्य डीएफआई के लिए, निगरानी प्रारूप संबंधित डीएफआई के सुरक्षा उपायों की निगरानी और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकता है |

**अनुलग्‍नक ई-1: प्रतिबंधित निवेश गतिविधियां विकास वित्तीय संस्थानों की सूची (नमूना प्रारूप\*)**

निम्नलिखित निवेश गतिविधियां डीएफआई से वित्त पोषण के लिए योग्य नहीं हैं (नीचे फुटनोट देखें):

(i) जबरन श्रम2 या बाल श्रम3 के हानिकारक या शोषणकारी रूपों से जुड़े उत्पादन या गतिविधियां;

(ii) मेजबान देश के कानूनों या विनियमों या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समझौतों के तहत अवैध माने जाने वाले किसी भी उत्पाद या गतिविधि का उत्पादन या व्यापार या अंतरराष्ट्रीय चरण बहिष्कार या प्रतिबंध के अधीन, जैसे (ए) फार्मास्यूटिकल्स4, कीटनाशक, और शाकनाशी5, (बी) ओजोन –क्षरण वाले पदार्थ6, (सी) पॉलीक्लोरीनयुक्त बाइफिनाइल7 और अन्य खतरनाक रसायन8, (डी) वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के तहत विनियमित वन्यजीव या वन्यजीव उत्पाद9, और (ई) अपशिष्ट या अपशिष्ट उत्पादों में सीमा पार व्यापार10 ;

(iii) अर्धसैनिक सामग्री सहित हथियारों और युद्ध सामग्री का उत्पादन या व्यापार;

(iv) बियर और वाइन को छोड़कर, अल्कोहलिक पेय पदार्थों का उत्पादन या व्यापार11;

(v) तंबाकू का उत्पादन या व्यापार10;

(vi) जुआ, कैसीनो और समकक्ष उद्यम10;

(vii) परमाणु रिएक्टरों और उसके घटकों सहित रेडियोधर्मी सामग्री12 का उत्पादन या व्यापार;

(viii) अबाध एस्बेस्टस फाइबर का उत्पादन, व्यापार, या उपयोग;13

(ix) वाणिज्यिक लॉगिंग संचालन या प्राथमिक उष्णकटिबंधीय आद्र वनों या पुराने विकास वाले वनों में उपयोग के लिए लॉगिंग उपकरणों की खरीद; तथा

(x) समुद्री और तटीय मछली पकड़ने की प्रथाएं, जैसे कि बड़े पैमाने पर पेलजिक ड्रिफ्ट नेट फिशिंग और फाइन मेश नेट फिशिंग, बड़ी संख्या में कमजोर और संरक्षित प्रजातियों के लिए हानिकारक और समुद्री जैव विविधता और आवासों के लिए हानिकारक।

\*: *उपर्युक्त प्रतिबंधित निवेश गतिविधियों की सूची केवल नमूना सूची के प्रयोजन के लिए एडीबी की सुरक्षा नीति से संदर्भित की गई है।*

1 यहां सूचीबद्ध प्रतिबंधित निवेश गतिविधियां एशियाई विकास बैंक से संबंधित हैं। अन्य डीएफआई की अपनी सूची हो सकती है।

2 जबरन श्रम का अर्थ है स्वेच्छा से न किए गए सभी कार्य या सेवाएं, यानी बल या दंड की धमकी के तहत व्यक्तियों से वसूला जाना।

3 बाल श्रम का अर्थ उन बच्चों के रोजगार से है जिनकी उम्र मेजबान देश के रोजगार या बच्चों के रोजगार की वैधानिक न्यूनतम आयु से कम है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन नंबर 138 "न्यूनतम आयु सम्मेलन" (www.ilo.org) के उल्लंघन में है।

4 फेज आउट या बैन के अधीन फार्मास्युटिकल उत्पादों की सूची http://www.who.int पर उपलब्ध है।

5 कीटनाशकों और शाकनाशियों की एक सूची http://www.pic.int पर उपलब्ध है।

6 रासायनिक यौगिकों की एक सूची जो समतापमंडलीय ओजोन के साथ प्रतिक्रिया करती है और व्यापक रूप से प्रचारित ओजोन छिद्रों को समाप्त करती है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सूचीबद्ध है, साथ में लक्ष्य में कमी और चरणबद्ध तिथियां भी शामिल हैं। जानकारी http://www.unep.org/ozone/montreal.shtml पर उपलब्ध है।

7 1950 से 1985 तक तेल से भरे विद्युत ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर और स्विचगियर डेटिंग में अत्यधिक जहरीले रसायनों के एक समूह, पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल पाए जाने की संभावना है।

8 खतरनाक रसायनों की सूची http://www.pic.int पर उपलब्ध है।

9 एक सूची http://www.cites.org पर उपलब्ध है।

10 जैसा कि बेसल कन्वेंशन द्वारा परिभाषित किया गया है; http://www.basel.int देखें।

11 यह उन निवेश प्राप्तकर्ता कंपनियों पर लागू नहीं होता है जो इन गतिविधियों में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं हैं। पर्याप्त रूप से शामिल नहीं होने का मतलब है कि संबंधित गतिविधि एक निवेश कंपनी के प्राथमिक संचालन के लिए सहायक है।

12 यह चिकित्सा उपकरण, गुणवत्ता नियंत्रण (माप) उपकरण और किसी भी उपकरण की खरीद पर लागू नहीं होता है, जिसके लिए एडीबी रेडियोधर्मी स्रोत को तुच्छ और पर्याप्त रूप से परिरक्षित मानता है।

13 यह बंधुआ एस्बेस्टस सीमेंट शीटिंग की खरीद और उपयोग पर लागू नहीं होता है जहां एस्बेस्टस सामग्री 20% से कम है।

### अनुलग्नक ई-2: पर्यावरण सुरक्षा दस्तावेजों की जांच सूची जो प्रमुख बैंकों/उप-ऋणकर्ताओं (विशेष प्रयोजन वाहन) द्वारा ऋण आवेदन के लिए आईआईएफसीएल को प्रस्तुत की जानी चाहिए

1. **प्रमुख अनुमोदन/सहमति (लागू होने के अनुसार)**
	1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी)/**पर्यावरण मंजूरी** के लिए राज्य पर्यावरण विभाग से किया गया आवेदन पत्र, स्थिति और अनुमोदन पत्र (लागू शर्तों के साथ संलग्न)।
	2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी)/राज्य पर्यावरण विभाग/**राज्य तटीय विनियमन क्षेत्र प्राधिकरण से तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) पर मंजूरी** के लिए किए गए आवेदन का पत्र, स्थिति और अनुमोदन पत्र (लागू शर्तों के साथ संलग्न)। ).
2. **वन मंजूरी** के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी)/राज्य वन विभाग से प्राप्त आवेदन पत्र, स्थिति और अनुमोदन पत्र (लागू शर्तों के साथ संलग्न)।
3. **संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापित करने की सहमति (सीटीई) और संचालन की सहमति (सीटीओ)** के लिए स्थिति और स्वीकृति पत्र (लागू शर्तों के साथ संलग्न) एवं किए गए आवेदन का पत्र।
4. ऋण आवेदन के समय परियोजना के लिए प्राप्त अन्य लागू पर्यावरणीय विनियामक मंज़ूरी

**II. मुख्य दस्तावेज (प्रयोज्यता के अनुसार)।**

(i) अनुमानित और प्रतिबद्ध बजट के विवरण के साथ कार्यकारी सारांश, पर्यावरण प्रबंधन योजना, आपदा प्रबंधन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट।

(ii) स्थिति रिपोर्ट के साथ सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही का रिकॉर्ड जो सार्वजनिक सुनवाई प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) में शामिल सुझावों का सार प्रस्तुत करती है.

(iii) पहले से ही कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के लिए, ईएमपी के कार्यान्वयन पर स्थिति, आवंटित में से खर्च किया गया ईएमपी बजट, निगरानी और समीक्षा के लिए संस्थागत व्यवस्था, पर्यावरण निगरानी का रिकॉर्ड।

(iv) परियोजना पर पर्यावरण-कानूनी विवरण जो बताता है कि परियोजना या तो राज्य / केंद्र सरकार द्वारा किसी कानूनी कार्यवाही के तहत है या जनहित याचिका (पीआईएल) से पीड़ित है।

(v) नियामक अनुपालन शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्टिंग की स्थिति।

**अनुलग्‍नक ई-3: प्रत्यक्ष ऋण देने की योजना के तहत पर्यावरण सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी रिपोर्ट (ईडीडीआर) तैयार करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सांकेतिक जांच सूची**

**पर्यावरण सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी:**

1. रियायतग्राहियों/एसपीवी को दिए गए अनुबंधों की पुष्टि प्रति और एसपीवी के खरीददारों के साथ हस्ताक्षरित कोई भी संशोधन या करार, जो भी लागू हो।

2. ईपीसी अनुबंध दस्तावेज़।

3. पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) रिपोर्ट/ईएसआईए अध्ययन/प्रारंभिक पर्यावरण परीक्षा अध्ययन रिपोर्ट।

4. एमओईएफएंडसीसी, एसपीसीबी, अन्य राज्य स्तरीय नियामक प्राधिकरण आदि जैसे विभिन्न प्राधिकरणों से विभिन्न मंजूरी जैसे (पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी और एनओसी) की प्रतिलिपि, जैसा लागू हो।

5. ईआईए रिपोर्ट में सहमति के अनुसार विभिन्न मंजूरी शर्तों के कार्यान्वयन की स्थिति और ईएमपी की कार्यान्वयन स्थिति;

6. परियोजना स्थल के निर्माण चरण के दौरान ईपीसी ठेकेदार या रियायतकर्ता द्वारा अपनाया गया कोई भी कार्यान्वयन योग्य ईएमपी।

7. परियोजना के लिए तैयार एचएसई मैनुअल/योजना (सभी परियोजनाओं पर लागू) और सड़क एवं यातायात सुरक्षा मैनुअल (सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए लागू)।

8. एचएसई योजना कार्यान्वयन स्थिति का रिकॉर्ड।

9. एमओईएफएंडसीसी को जमा की गई नवीनतम पर्यावरणीय गुणवत्ता निगरानी रिपोर्ट और छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट की प्रति, जो भी लागू हो।

10. विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत विभिन्न सुरक्षा उपायों के अनुपालन निगरानी रिपोर्ट की प्रतियां, जैसा लागू हो।

11. ईएमपी के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए संस्थागत व्यवस्था (प्रोजेक्ट साइट ऑर्गनोग्राम);

12. वार्षिक ईएमपी बजट और इसकी व्यय स्थिति।

13. जनसुनवाई की कार्यवाही का विवरण (जनसुनवाई के कार्यवृत्त और जनसुनवाई अधिसूचना के समाचार पत्रों की कतरनें)/जन परामर्श जो भी लागू हो॰

14. आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी), जैसा लागू हो।

15. ऑनसाइट और ऑफसाइट आपातकालीन तैयारी योजना, जैसा लागू हो।

16. पर्यावरण सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए परियोजना हेतु शिकायत निवारण तंत्र और संस्थागत व्यवस्था ।

17. विभिन्न पणधारियों के लिए आयोजित पर्यावरण सुरक्षा उपायों से संबंधित जागरूकता गतिविधियों का विवरण, यदि कोई हो।

18. दुर्घटना/घटना डाटा के लिए मासिक रिपोर्ट और परियोजना खंड में दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को कम करने के लिए किए गए उपचारात्मक उपाय;

19. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट।

20. पर्यावरण सुरक्षा पहलुओं के संबंध में परियोजना के लिए किया गया कोई अन्य विविध अध्ययन।

अनुलग्‍नक ई-4: उप-परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय सम्यक उद्यम रिपोर्ट की सुझाई गई रूपरेखा

**I.** प्रस्तावना

1 **निवेश विवरण: निवेश शीर्षक, निवेश का प्रकार, स्थान और सेटिंग, राशि, आकार (उत्पादन क्षमता, कर्मचारियों की संख्या, आदि)**

**2. पर्यावरण वर्गीकरण और औचित्य**

**3. लागू पर्यावरणीय आवश्यकताएँ।**

**II.** समीक्षा और कार्यप्रणाली का दायरा

**1. सुरक्षा दस्तावेजों की समीक्षा की गई (उदाहरण के लिए, पर्यावरण मूल्यांकन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन योजना, या पर्यावरण अनुपालन ऑडिट रिपोर्ट, परमिट/लाइसेंस की प्रतियां)।**

**2. अपनाई गई पद्धति (स्थल का दौरा, निरीक्षण रिपोर्ट, आदि)।**

**III**. अनुपालन और उत्तरदायित्व (विशिष्ट निवेश के लिए प्रासंगिक सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार, पर्यावरणीय मुद्दों और अनुपालन की जांच करें)

**1. इन मुद्दों (या मौजूदा सुविधाओं के लिए सुधारात्मक कार्य योजना) और संबंधित डीएफआई की पर्यावरण सुरक्षा आवश्यकताओं और लागू राष्ट्रीय कानूनों, विनियमों और मानकों के अनुपालन की स्थिति को संबोधित करने के लिए पर्यावरण, प्रभाव, शमन उपायों के संदर्भ में मुद्दों की जांच करें:**

 **(i) पर्यावरण सुरक्षा**

* + 1. **पर्यावरण सुरक्षा**
			- प्रमुख प्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभावों और जोखिमों की उपयुक्त पहचान
			- पर्यावरण मूल्यांकन की पर्याप्तता (श्रेणी ए निवेश के लिए, वैकल्पिक विश्लेषण की पर्याप्तता सहित)
			- **(क)** सूचना प्रकटीकरण, (ख) प्रभावित व्यक्तियों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श, (ग) व्यावसायिक और सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण और स्थायी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, और भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों पर लागू आवश्यकताओं के साथ अनुपालन की स्थिति

शमन उपायों की पर्याप्तता और ईएमपी (शमन उपाय, निगरानी और रिपोर्टिंग, संस्थागत व्यवस्था, बजट), या मौजूदा सुविधाओं के लिए सुधारात्मक कार्य योजना, यदि कोई हो

* + 1. **शिकायत निवारण तंत्र व्यवस्था की पर्याप्तता**
	1. कमियों की पहचान होने पर शमन उपायों या सुधारात्मक कार्य योजनाओं की सिफारिश करें।
	2. निर्माणाधीन निवेश सहित मौजूदा सुविधाओं के लिए, जांच करें कि क्या निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी ने राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार पिछले दो वर्षों में गैर-अनुपालन के लिए प्रदूषण शुल्क या जुर्माना/दंड का भुगतान किया है, क्या निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी संभावित महत्वपूर्ण देनदारियों के लिए जोखिम में है, जैसे कि ज्ञात या संदिग्ध भूमि/भूजल संदूषण, प्रमुख दुर्घटनाओं और कंपनी के पिछले या चल रहे संचालन से संबंधित घटनाओं से उत्पन्न होने वाले, और किसी भी गैर-अनुपालन समस्याओं और देनदारियों को दूर करने के लिए विशेष कार्यों में निवेशिती द्वारा आवश्यक/योजनाबद्ध आगे की कार्रवाई बताएं। यह भी जांचें कि क्या निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी के पर्यावरणीय प्रदर्शन पर जनता या स्थानीय समुदायों से शिकायतें हैं। इन विवरणों की पुष्टि संबंधित परियोजना विकासकर्ता और परियोजना से संबंधित सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार की जाएगी।
	3. निवेश द्वारा किए जाने वाले किसी भी जोखिम नियंत्रण या न्यूनीकरण उपायों को बताएं, जैसे शर्तें, ऋण अनुबंध या निगरानी और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं, यदि कोई हो।

### III. अन्य निवेश संबंधी विशिष्ट मुद्दे, यदि कोई हो

**IV. निष्कर्ष और अनुशंसा**

अनुलग्‍नक **ई-5: अंतरण वित्त पोषण योजना के तहत पर्यावरण सुरक्षा उपायों की तैयारी के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सुझाई गई सूची**

**क. पर्यावरण सुरक्षा संबंधित आवश्यकता**

1. किसी पोस्ट-सीओडी परियोजना के लिए आवश्यक पर्यावरण सुरक्षा संबंधी दस्तावेज इस प्रकार हैं (यदि उपलब्ध हो):

* 1. ईआईए-ईएमपी रिपोर्ट/ईएसआईए अध्ययन/आईईई अध्ययन रिपोर्ट की प्रति
	2. अनुबंध दस्तावेजों में एचएसई संबंधित खंड, यानी रियायत/ईपीसी समझौता
	3. एमओईएफएंडसीसी, एसपीसीबी, अन्य राज्य स्तरीय नियामक प्राधिकरण आदि जैसे विभिन्न प्राधिकरणों से विभिन्न मंजूरी जैसे (पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी, सीआरजेड मंजूरी, वन्यजीव मंजूरी, यदि लागू हो, पेड़ काटने की अनुमति और एनओसी) की प्रति या लागू परमिट की स्थिति निर्माण पूर्व, निर्माण और संचालन चरण के दौरान लिया गया
	4. जन सुनवाई की कार्यवाही का विवरण (सार्वजनिक सुनवाई के कार्यवृत्त और जन सुनवाई अधिसूचना के समाचार पत्रों की कतरनें)/जन परामर्श
	5. ईसी पत्र शर्तों के अनुपालन के लिए एमओईएफएंडसीसी को प्रस्तुत की गई छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट

2. निर्माण के बाद की गतिविधियों की स्थिति:

* 1. परियोजना, प्रतिपूरक वनीकरण की स्थिति, किसी अंतराल या सुधार के कारण काटे गए पेड़ों की संख्या
	2. उधार क्षेत्रों का पुनर्वास, जैसा लागू हो
	3. मृदा अपरदन नियंत्रण उपाय, तटबंध सुरक्षा उपाय
	4. खदान क्षेत्रों का पुनर्विकास, यदि परियोजना विकासकर्ता के स्वामित्व में है
	5. शिविर स्थलों और संयंत्र स्थलों की बहाली
	6. सामुदायिक संपत्तियों में कोई वृद्धि
	7. जनता की मांग पर किसी सुविधा का प्रावधान

3. संचालन चरण की गतिविधियों के दौरान अनुपालन स्थिति की सुरक्षा करता है:

* 1. संचालन चरण के दौरान लागू परमिट/मंजूरी की स्थिति
	2. संचालन चरण के दौरान पर्यावरण प्रबंधन योजना की अनुपालन स्थिति
	3. संचालन चरण के दौरान पर्यावरण गुणवत्ता निगरानी रिपोर्ट
	4. ईएमपी के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए संस्थागत व्यवस्था;
	5. ईएचएस (पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा) संबंधित खंड संचालन और रखरखाव समझौता
	6. संचालन चरण/आपदा प्रबंधन योजना के दौरान आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना
	7. वार्षिक ईएमपी बजट और इसकी व्यय स्थिति
	8. हरित क्षेत्र/प्रतिपूरक वनीकरण/वृक्षारोपण अनुरक्षण उपाय
	9. संवेदनशील ग्राहिताओं पर प्रभाव
	10. पर्याप्त यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा उपाय (सड़क परियोजनाओं के मामले में)
	11. उपचारात्मक उपायों के साथ दुर्घटना/घटना डेटा रिपोर्ट
	12. स्वास्थ्य और कार्य सुरक्षा उपाय
	13. सामुदायिक विच्छेद मुद्दे, यदि कोई हो

अनुलग्‍नक **ई-6: उधारकर्ताओं द्वारा जमा की जाने वाली उप-परियोजनाओं के लिए आवधिक पर्यावरणीय निगरानी रिपोर्ट के लिए सुझाई गई सूची :**

1) लागू पर्यावरण विनियमों से संबंधित सभी वैधानिक अनुमोदनों के बारे में पुष्टि। परियोजना के लिए आवश्यकतानुसार प्राप्त किए जाते हैं, और मामले के अनुसार नवीनीकृत किए जाते हैं; यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सुविधा मालिक और सिविल कार्य ठेकेदारों द्वारा वैधानिक पर्यावरण मंजूरी / अनुमोदन / सहमति आदि में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार प्रचलित पर्यावरण विनियमों का निरंतर अनुपालन किया जा रहा है;

2) सभी लागू वैधानिक पर्यावरणीय मंजूरी/अनुमोदन/सहमति की प्रतियां जो परियोजना के लिए प्राप्त की गई हैं और कैलेंडर वर्ष की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान मान्य हैं

3) परियोजना स्थल पर ईएमपी कार्यान्वयन की नवीनतम अनुपालन स्थिति जैसा कि ईआईए के ईएमपी मैट्रिक्स में परिभाषित है/ईएमपी बजट सहित परियोजना के लिए तैयार की गई ईएमपी रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान खर्च की गई है;

4) परियोजना के लिए प्राप्त पर्यावरण मंजूरी पत्र में निर्धारित शर्तों के संबंध में एमओईएफएंडसीसी (कैलेंडर वर्ष में) के साथ प्रस्तुत की गई छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट की प्रतियां और एसपीसीबी को प्रस्तुत वार्षिक पर्यावरण लेखापरीक्षा रिपोर्ट;

5) नमूना आवृत्ति और साइट चयन के मानदंड और कैलेंडर वर्ष के लिए पर्यावरण गुणवत्ता निगरानी रिपोर्ट की प्रतियों को समझने के लिए पर्यावरणीय गुणवत्ता निगरानी के लिए कार्य का दायरा;

6) कैलेंडर वर्ष के लिए दुर्घटना/घटना के लिए मासिक रिपोर्ट और परियोजना खंड में दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को कम करने के लिए किए गए उपचारात्मक उपाय;

7) पर्यावरण सुरक्षा उपायों के संबंध में प्रभावित लोगों से प्राप्त प्रमुख शिकायतों का विवरण और इन शिकायतों के समाधान के लिए किए गए उपायों को उपलब्ध कराना;

8) परियोजना विकासकर्ता द्वारा किए गए किसी विशेष प्रयास या प्रदान की गई परियोजना सुविधा (जैसे अंडरपास, सर्विस रोड इत्यादि)/सार्वजनिक मांग और सीएसआर गतिविधियों के कारण सुरक्षा सुविधाओं/सुविधाओं का विवरण;

9) पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपनाए गए कोई विशेष उपाय/अच्छे अभ्यास, उदा. फ्लाई ऐश का उपयोग, वृक्षारोपण, मलवा उपयोग आदि।

10) एचएसई गतिविधियों के लिए प्रोजेक्ट ऑर्गनोग्राम (संस्थागत तंत्र) और रियायतग्राही और ईपीसी ठेकेदार स्तर पर ईएमपी कार्यान्वयन के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र का विवरण;

11) खदान और उधार क्षेत्र प्रबंधन के लिए पुनर्वास उपायों का विवरण, जैसा लागू हो;

12) परियोजना सड़क में लागू समग्र यातायात और सड़क सुरक्षा उपायों का विवरण, जैसा लागू हो;

13) परियोजना विकासकर्ता द्वारा पर्यावरण जागरूकता/पर्यावरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित संचालित गतिविधियों का विवरण, जिसमें स्वयं के कर्मचारियों/अथवा आम जनता के लिए आयोजित सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल हैं;

14) कैलेंडर वर्ष के दौरान परियोजना के लिए उत्पन्न सभी ऋणदाताओं के स्वतंत्र अभियंता रिपोर्ट की प्रतियां।

**अनुलग्नक ई-7: उप-परियोजनाओं के लिए वार्षिक पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा प्रदर्शन रिपोर्ट के लिए सांकेतिक प्रारूप**

**उप परियोजना का नाम:**

FI को DFI को वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। विवरण प्रदान करने के लिए कृपया अतिरिक्त पत्रक या संलग्नक शामिल करें।

|  |  |
| --- | --- |
| संगठन का नाम |   |
| संगठन में (नाम) और स्थिति द्वारा पूरा किया गया |  |  |
|  |  |
|  |  |
| के द्वारा अनुमोदित |  |  |
| प्रतिवेदन अवधि |  |  |
| दिनांक  |  |  |

**क. समीक्षाधीन अवधि के दौरान डीएफआई निधि के अंतर्गत संसाधित उपपरियोजनाएं**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| उपपरियोजना **का नाम** | **उप क्षेत्र**  | **उपऋण का कार्यकाल****(महीने)** | **उप ऋण (US$) (दिनांक)** | **सुरक्षा श्रेणी** | **पर्यावरण, आईआर या आईपी मुद्दे और****उठाए गए कदम** | **स्थिति (स्वीकृति, संशोधन या अस्वीकार)** | **संशोधित करने या अस्वीकार करने के कारण** |
| **ईएनवी** | **आईआर**  | **आईपी**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ईएनवी** = पर्यावरण,  **आईआर** = अनैच्छिक पुनर्वास, **आईपी** = स्वदेशी लोग।

a कृपया पिछली तालिका या किसी मानक वर्गीकरण में सूचीबद्ध क्षेत्रों का उपयोग करें

**ख श्रेणी बी या डीएफआई फंड का उपयोग करने वाली उपपरियोजनाएं**

इस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान स्वीकृत श्रेणी बी या ए की सभी उपपरियोजनाओं के बारे में अधिक जानकारी।

|  |  |
| --- | --- |
| उप उधारकर्ता और उप परियोजना का नाम: |  |
| उप परियोजना स्थान:  |  |
| उद्योग क्षेत्र:  |  |
| एक्सपोजर का मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर): |  |
| सुरक्षा श्रेणी: |  |
| आपके संगठन में कोई पर्यावरणीय और सामाजिक सम्यक उद्यम है? यदि हाँ, तो सुरक्षा दस्तावेजों की डेस्क समीक्षा, और/या क्षेत्र का दौरा किसके द्वारा और कब किया जाता है? |  |
| कोई पर्यावरण मूल्यांकन रिपोर्ट (ईएमपी सहित), आईआर योजना, या आईपी योजना, या आपके संगठन द्वारा समीक्षा की गई ऑडिट रिपोर्ट? यदि हां, तो कृपया समीक्षा किए गए दस्तावेजों के नाम प्रदान करें। |  |
| इस उपपरियोजना से जुड़े मुख्य पर्यावरणीय, आईआर और आईपी मुद्दे क्या थे और इन मुद्दों से कैसे निपटा गया? |  |
| श्रेणी ए उपपरियोजनाओं के लिए, सुरक्षा उपायों के दस्तावेज (ईआईए, आरपी, आईपीपी, या ऑडिट रिपोर्ट) सार्वजनिक रूप से कैसे प्रकट किए गए थे? कृपया वेब लिंक और तारीख प्रदान करें। |  |
| क्या निवेश के साथ E&S मुद्दों से संबंधित कोई शर्तें या अनुबंध किए गए थे? यदि हाँ, तो कृपया संक्षेप में वर्णन करें। |  |
| क्या उपपरियोजना लागू घरेलू और डीएफआई की सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करता है? गैर-अनुपालन की कोई घटना? कृपया बताएं कि आप उपपरियोजना के E&S का अनुपालन कैसे सुनिश्चित करते हैं। |  |
| आप उप-उधारकर्ता और उसके उप-परियोजना के प्रदर्शन की निगरानी कैसे करते हैं? कृपया E&S मॉनिटरिंग रिपोर्ट जैसे सहायक दस्तावेज़ों का वर्णन करें। |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 एडीबी लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत अनुमोदित उप-परियोजनाओं के लिए वार्षिक सुरक्षा प्रदर्शन रिपोर्ट तैयार करने के लिए सांकेतिक प्रारूप का उपयोग किया जाता है। समय-समय पर रिपोर्टिंग और निगरानी प्रारूप अन्य डीएफआई की क्रेडिट लाइन के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग होंगे।

**ग. उप/क्षेत्रों द्वारा वित्तीय संस्था का पोर्टफोलियो**

कृपया एफ़आई के पोर्टफोलियो का एक सांकेतिक % प्रदान करें, या केवल डीएफ़आई परियोजना के तहत वित्तपोषित यदि इसे अपने पूरे पोर्टफोलियो से अलग किया जा सकता है।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **औद्योगिक क्षेत्र या उपक्षेत्र** | **साल में उप ऋण**  | **उप ऋण राशि से** |
| (डीएफआई परियोजना के तहत वित्तपोषित) |  संख्या  | % | यूएसडी में (दिनांक**)** | % |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**घ. धारणीय वित्त (E&S लाभों के साथ उप-परियोजनाओं का सारांश)**

|  |
| --- |
| **धारणीय वित्त** |
| क्या आपने उपपरियोजनाओं में कोई निवेश किया है जिसके सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ हैं जैसे कि प्रबंधन प्रणाली, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ उत्पादन, कार्बन वित्त, प्रदूषण उपशमन और नियंत्रण, टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, सामुदायिक विकास, आदि में निवेश करना। ? कृपया इन्हें नीचे दिए गए प्रारूप में सूचीबद्ध करें: |
| उपपरियोजना **का नाम** | **वित्तीय संस्थान द्वारा वित्तपोषित मूल्य (US$) (तारीख )** | **सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ का प्रकार** |
|  |  |  |
|  |  |  |

च. रिपोर्टिंग अवधि के लिए अतिरिक्त जानकारी

1. सामाजिक E&S मुद्दों सहित पहलुओं की समीक्षा करने के लिए कृपया उन उप-परियोजनाओं की संख्या प्रदान करें जिस क्षेत्र का दौरा किया गया था।

2. कृपया किसी भी दुर्घटना/मुकदमे/शिकायत/नियामक नोटिस और जुर्माना, उनके कारणों और की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

3. कृपया ईएसएमएस कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी कठिनाई का उल्लेख करें। आपके संगठन द्वारा किए जा रहे संभावित कारण और कार्य क्या हैं? डीएफआई के मिशन की क्या सिफारिशें हैं?

सामाजिक सुरक्षा ढांचे से संबंधित सामाजिक अनुलग्नकों की सूची

(अनुलग्नक S-1 से **S-5**)

| अनुलग्नक संख्या | अनुलग्नक का शीर्षक | टिप्पणियां |
| --- | --- | --- |
| **अनुलग्नक एस-1** | ऋण आवेदन के लिए आईआईएफसीएल को अग्रणी बैंकों/उप-ऋणकर्ताओं (एसपीवी) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची। | उन दस्तावेज़ों की सूची प्रदान करता है जिन्हें प्रमुख बैंकों/उप-ऋणकर्ताओं द्वारा परियोजना पर सामाजिक सम्यक् परिश्रम की सुविधा के लिए IIFCL को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। |
| **अनुलग्नक एस-2** | प्रत्यक्ष ऋण योजना के तहत एसडीडीआर तैयार करने के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची । | उन दस्तावेजों की चेकलिस्ट प्रदान करता है जिन्हें उप-उधारकर्ताओं द्वारा आईआईएफ़सीएल को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है ताकि निर्माण-पूर्व/निर्माण चरण में परियोजना के सामाजिक सुरक्षा उपायों को उचित सावधानी से पूरा किया जा सके। |
| **अनुलग्नक एस-3** | उपपरियोजनाओं के लिए सामाजिक ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट की सुझाई गई रूपरेखा। | उपपरियोजनाओं के लिए सामाजिक डीडीआर के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। |
| **अनुलग्नक एस-4** | अंतरण वित्त पोषण योजना के तहत सामाजिक ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट तैयार करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची । | उन दस्तावेजों की सूची प्रदान करता है जिन्हें उप-उधारकर्ताओं द्वारा आईआईएफसीएल को परियोजना पर पर्यावरण और सामाजिक उचित परिश्रम की सुविधा के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। |
| **अनुलग्नक एस-5**  | **उपपरियोजनाओं के लिए आवधिक सामाजिक निगरानी रिपोर्ट के लिए सुझाई गई सूची।** | उप-परियोजनाओं के लिए वार्षिक सामाजिक निगरानी रिपोर्ट के लिए गुंजाइश प्रदान करता है। |

अनुलग्नक एस-1: दस्तावेजों की जांच सूची जिन्हें जमा किया जाना चाहिए

ऋण आवेदन के लिए आईआईएफसीएल को अग्रणी बैंकों/उप-उधारकर्ता (एसपीवी) द्वारा

**III.** प्रमुख अनुमोदन/सहमति/अधिसूचना

 (i) सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण के इरादे से परियोजना प्रस्तावक की ओर से सरकार/रियायती प्राधिकरण से भूमि अधिग्रहण, अनुमोदन/सहमति/अनुमति/एमओयू से संबंधित राजपत्र अधिसूचना/3डी अधिसूचना। मार्ग-अधिकार (आरओडब्ल्यू) रियायती प्राधिकारी का पत्र सौंपना।

 **IV. प्रमुख दस्तावेज**

(ii) आरएपी/एसआईए/टीडीपी रिपोर्ट

 (iii) भूमि अधिग्रहण की स्थिति

 (iv) स्थानीय लोगों/परियोजना प्रभावित लोगों के लिए सृजित रोजगार। परियोजना प्राधिकरण की सीएसआर नीति, यदि कोई हो, साथ ही पीएपी और परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लिए अपनाई गई सीएसआर गतिविधि।

 (v) सूचना/रिकॉर्ड/सार्वजनिक सुनवाई/सार्वजनिक परामर्श का कार्यवृत्त (वास्तविक आचरण के साथ-साथ प्राप्त लिखित टिप्पणियां) एक बयान के साथ जो सार्वजनिक सुनवाई/सार्वजनिक परामर्श के परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी), आरएपी में शामिल सुझावों का सार प्रस्तुत करता है।

 (vi) परियोजना पर कोई भी लंबित मुकदमेबाजी-कानूनी विवरण जो बताता है कि परियोजना किसी कानूनी कार्यवाही के तहत है या नहीं। राज्य / केंद्र सरकार द्वारा या जनहित याचिका (पीआईएल) से पीड़ित।

 (vii) परियोजना प्राधिकरण द्वारा शिकायत निवारण तंत्र।

**अनुलग्नक एस 2: प्रत्यक्ष ऋण योजना के तहत एसडीडीआर तैयार करने के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची**

1. पुनर्स्थापन कार्य योजना (आरएपी)/सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट एसआईए)/जनजातीय विकास योजना (टीडीपी) की प्रति

**2. भूमि विवरणः** भूमि अर्जन के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से ली गई अनुमति का विवरण। भूमि अधिग्रहण की स्थिति, प्रभावित भूमि का प्रकार एवं भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया। भूमि अधिग्रहण से संबंधित समाचार पत्र विज्ञापन की प्रति, गजट नोटिफिकेशन, आरओडब्ल्यू हैंडओवर और भूमिधारकों से प्राप्त अनापत्ति पत्र, यदि कोई हो, का आधिकारिक पत्र। भूमि दरों और भुगतान को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया।

3. प्रभावित भूमिधारकों का विवरण और अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवार पर कोई प्रभाव। क्या प्रभावित अनुसूचित जनजाति के परिवारों को कोई अतिरिक्त सहायता दी गई है, कृपया सूचित करें।

4. भूमि अधिग्रहण के न्यूनीकरण के लिए उठाए गए कदम।

5. सार्वजनिक परामर्श का विवरण।

6. परियोजना के लिए प्रभावित भू-स्वामियों के लिए भुगतान किए गए फसल मुआवजे का विवरण और प्रक्रिया, यदि लागू हो।

7. भू-अर्जन एवं मुआवजे से संबंधित किसी भी लंबित मुकदमे का विवरण।

8. परियोजना के लिए अपनाई गई शिकायत निवारण तंत्र और शिकायतों को दूर करने के लिए परियोजना के लिए संस्थागत व्यवस्था की गई। स्थानीय लोगों से प्राप्त शिकायतों का विवरण और उनके पते की स्थिति।

9. रियायतग्राही द्वारा अपनाए गए विभिन्न आय बहाली उपायों का विवरण।

10. रियायतग्राही द्वारा परियोजना प्रभावित क्षेत्र में की गई सीएसआर/सामुदायिक विकास गतिविधियों का विवरण।

अनुलग्नक एस-3: उप-परियोजनाओं के लिए सामाजिक उचित परिश्रम रिपोर्ट की सुझाई गई रूपरेखा

(क) परिचय

1. **निवेश विवरण: निवेश शीर्षक, निवेश का प्रकार, स्थान और सेटिंग, राशि, आकार (उत्पादन क्षमता, कर्मचारियों की संख्या)**
2. **लागू सामाजिक आवश्यकताएँ। (एसआईए/आरएपी/टीडीपी के लिए लागू नीतियां)**

(ख) समीक्षा और कार्यप्रणाली का दायरा

**1. समीक्षा किए गए दस्तावेज़ (उदाहरण के लिए पुनर्वास कार्य योजना, जनजातीय विकास योजना, या सामाजिक अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट, राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियां)**

**2. उपयोग की जाने वाली पद्धतियाँ (साइट का दौरा, निरीक्षण रिपोर्ट, आदि)**

(ग) अनुपालन और दायित्व (विशिष्ट निवेश के लिए प्रासंगिक सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार, सामाजिक मुद्दों और अनुपालन की जांच करें)

**1. सामाजिक सरोकारों, अनैच्छिक पुनर्वास और जनजातीय लोगों के प्रभावों, इन मुद्दों (या मौजूदा सुविधाओं के लिए सुधारात्मक कार्य योजना) और राष्ट्रीय कानूनों, विनियमों और मानकों के अनुपालन की स्थिति के समाधान के लिए अपनाए गए शमन उपायों के संदर्भ में मुद्दों की जांच करें:**

 **(i) सामाजिक सुरक्षा**

* + - प्रमुख प्रत्याशित सामाजिक प्रभावों और जोखिमों की उपयुक्त पहचान
		- (i) सूचना प्रकटीकरण, (ii) प्रभावित व्यक्तियों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श, (iii) व्यावसायिक और सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, रोजगार सृजन और स्थायी आजीविका उत्पादन प्रबंधन, और सामान्य संपत्ति संसाधनों पर लागू आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति
		- सामाजिक प्रभावों, निगरानी और रिपोर्टिंग, संस्थागत व्यवस्था को संबोधित करने के लिए अपनाए गए शमन उपाय)

 **(ii) अनैच्छिक पुनर्वास सुरक्षा उपाय**

* + - प्रमुख प्रत्याशित अनैच्छिक पुनर्वास प्रभावों और जोखिमों की उपयुक्त पहचान
		- सामाजिक प्रभावों के आकलन, सूचना प्रकटीकरण और प्रभावित व्यक्तियों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श की पर्याप्तता
		- मुआवजा और लाभ

 **(iii) जनजातीय लोगों की सुरक्षा**

* देशज/आदिवासी लोगों पर प्रमुख प्रत्याशित प्रभावों की उपयुक्त पहचान
* प्रकटीकरण पर जानकारी और प्रभावित लोगों के साथ सार्थक परामर्श
* प्रतिकूल प्रभावों से बचने के उपायों की पर्याप्तता

 (iv) शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था

2. निवेश द्वारा किए जाने वाले किसी भी जोखिम नियंत्रण या न्यूनीकरण उपायों को बताएं, जैसे शर्तें, ऋण अनुबंध या निगरानी और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं

### (घ) निष्कर्ष और अनुशंसा

**अनुलग्नक एस-4: टेकआउट वित्त योजना के तहत एसडीडीआर तैयार करने के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची**

**आवश्यक दस्तावेज़:**

 निम्न की प्रतियां

 1. सामाजिक प्रभाव का आकलन

 2. पुनर्स्थापन कार्य योजना/पुनर्वास योजना

 3. जनजातीय विकास योजना, यदि उपलब्ध हो

**निम्नलिखित विवरण भी आवश्यक हैं:**

1. भूमि अधिग्रहण और परियोजना के कारण प्रभावित किसी भी जनजातीय लोगों के संबंध में कोई लंबित मुकदमा;
2. कोई मुआवजा संबंधी लंबित मुद्दे;
3. लोगों का कोई भौतिक विस्थापन;
4. निर्माण के साथ-साथ संचालन चरण के दौरान सृजित स्थानीय रोजगार;
5. कोई लंबित शिकायत और शिकायत निवारण तंत्र;
6. जनता की मांग के कारण परियोजना विकासकर्ता द्वारा किए गए किसी विशेष प्रयास या प्रदान की गई परियोजना सुविधा (जैसे अंडरपास, सर्विस रोड आदि) का विवरण;
7. सीएसआर गतिविधियां ।

**अनुलग्नक एस-5: उप-परियोजनाओं के लिए वार्षिक सामाजिक निगरानी रिपोर्ट के लिए सुझाई गई जांच सूची**

1. कृपया सलाह दें कि क्या विस्तृत डिजाइन और विस्तृत माप सर्वेक्षण के बाद पुनर्वास योजना को संशोधित किया गया था? यदि प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास योजना के बारे में बताया गया था?

2. क्या प्रभावित लोगों को संपत्ति (जमीन, घर आदि) के नुकसान के लिए मुआवजे की दरों का खुलासा किया गया है।

3. भूमि अधिग्रहण, मुआवजा आदि से संबंधित कोई भी लंबित मुकदमे;

4. परियोजना क्षेत्र में पीएपी के साथ किए गए सार्वजनिक परामर्श का विवरण। इन बैठकों के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों और मुद्दों के लिए अपनाए गए शमन उपायों का विवरण;

5. भूमि अधिग्रहण की स्थिति;

6. प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास स्थलों, यदि कोई हो, का विवरण;

7. प्रभावित लोगों के लिए अपनाए गए आय सृजन के उपाय (जैसे विभिन्न कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल गतिविधियों आदि के लिए नियोजित स्थानीय श्रमिकों का विवरण);

8. विकासकर्ता द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों का विवरण;

9. स्थानीय लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए परियोजना द्वारा अपनाई गई शिकायत निवारण तंत्र का विवरण;

10. क्या उप-परियोजना के सामाजिक सुरक्षा उपायों की निगरानी के लिए कोई बाहरी मॉनिटर है? क्या विशेषज्ञ नियमित रूप से सुरक्षा अनुपालन की निगरानी करते हैं? सामाजिक सुरक्षा उपायों की निगरानी प्रक्रिया के लिए रिपोर्टिंग आवृत्ति का विवरण

# ----------------------------------------